न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 12/2024 जीसीएमएस नं. : 2024/95 गुरभीन्द्र सिंह बनाम आकाशदीप आदि अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम
27.08.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा.पत्र 135(2) भू राजस्व अधिनियम पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील रेस्पो. द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार अनूपगढ़ दिनांक 12.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील प्रस्तुत की गयी हैं। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया हैं जो कि कन्टेस्ट निर्णय हैं, उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील मा. न्यायालय में पोषणीय नहीं हैं व न ही न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार हैं। अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी(रेस्पों.) बहस के दौरान न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1993 पेज सं. 28 निर्णय मा. राजस्व मण्डल राज. अजमेर, निगरानी सं. 8/91 अजमेर, रामा बनाम लक्ष्मी नारायण आदि निर्णय दिनांक 28.09.1992 एवं आरएलडब्ल्यू 2010(2) आरजे पेज सं. 1328 निर्णय मा. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर सं. निगरानी/एलआर/3783/2006/पाली हिम्मताराम बनाम राकेश आदि निर्णय दिनांक 13.08.2010 की प्रतियां प्रस्तुत की हैं। अपीलार्थी के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वकील अपीलार्थी निवेदन किया कि प्रकरण में पूर्व में निर्णय पारित किया गया था जो कि अति. जिला कलैक्टर सूरतगढ़ द्वारा निरस्त कर तहसीलदार को उभयपक्ष को सुनते हुए पुनः निर्णित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था इसलिए पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच किये एवं मा. अति. जिला कलक्टर के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपना पूर्व का निर्णय ही पुनः पारित कर दिया गया। अपील पर सुनवाई का अधिकार मा. न्यायालय को प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई के उपरान्त पारित किया गया हैं। जिससे यह स्पष्ट हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत निर्णित किया गया हैं। धारा 135(2) के तहत पारित निर्णय पर अपील के संबंध में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सटीक हैं। जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया हैं कि "धारा 135(2) के तहत पारित आदेश भू अभिलेख अधिकारी का होगा और उसकी अपील निदेशक(भू.अ.) यानि वर्तमान में संबंधित अति. संभागीय आयुक्त/संभागीय आयुक्त को होगी।" अतः अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं। लिहाजा अपील अपीलार्थी प्रकरण में लम्बित समस्त प्रा.पत्रों सहित इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। पत्रावली फेंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली फेंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।** (अवधेश मीना) I.A.S. जिला कलक्टर अनूपगढ़	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)